न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैया लाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 71/2018

नानक सिंह पुत्र सुरेण सिंह जाति मजहबी निवासी 18 एफ मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर जरिये मुखत्यारे आम ताराचन्द पुत्र लाधुराम जाति मेघवाल निवासी चक 3/4 आर. एस. एम. दैशली, तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलार्थी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, घड़साना।

—रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, घड़साना दिनांक 21.04.2017

उपस्थितिः–

श्री प्रदीप सिहाग, अभिभाषक अपीलांट

श्री महावीर धारणिया, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 02.11.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी घड़साना के समक्ष दिनांक 24.10.2016 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी के नाम से चक 8 जैड डब्ल्यू एम के मुरब्बा नम्बर 191/12, 191/20 की 30 बीघा भूमि आवंटन की गई थी। उक्त रकबा किसी अन्य को आवंटन हो चुका है। अतः उक्त भूमि के बदले में प्रार्थी को अन्य भूमि आवंटन की जावे। प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट ली जाकर दिनांक 08.11.2016 को प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि वर्तमान में सामान्य आवंटन पर राज्य सरकार की रोक है जिसके विरूद्ध अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील सं. 231/16 पेश की, जो दिनांक 30.11.16

को स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया गय। प्रकरण रिमाण्ड होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.04.2017 को अपीलांट को वैकल्पिक आवंटन कर दिया। तत्पश्चात् दिनांक 21.04.2017 को 4.301 है. भूमि ही आवंटित की गई यह आवंटन आदेश मूल आवंटन के अनुसार नहीं होने व राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.11.16 के अनुरूप होने पर निर्देश जारी कराने हेतु अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी.न्यायालय ने अपीलांट के मूल आवंटन आदेश अनुसार आवंटन नहीं किया । दिनांक 10.04.17 के आदेश में भी 7 बीघा भूमि कम आवटित की थी वह 7 बीघा भूमि आवंटन की प्रतीक्षा करता रहा। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17.04.17 को इन्द्रजीत सिंह के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेशी में ली जाकर दिनांक 21.04.2017 को 4.301 है. भूमि ही आवंटित की गई यह आवंटन आदेश मूल आवंटन के अनुसार नहीं होने व राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.11.16 के अनुरूप होने पर निर्देश जारी कराने हेतु अपीलांट ने यह अपील पेश की है। अधी.न्यायालय के आदेशो की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर आदेश दिनांक 16.10.1980 में अंकित आवंटित भूमि के अनुसार उसी अनुरूप कृषि भूमि आवंटन करने के आदेश दिये जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि इस प्रकरण में आदेश दिनांक 16.10.80 के तहत निर्देश पूर्व में दिये जा चुके है। अपीलांट के प्रकरण में पूर्णतः विधि सम्मत कार्यवाही की गई है। यदि पूर्व आदेश दिनांक 03.11.16 के तहत अपीलांट को कोई हक शेष है तो वह अधी.न्यायालय

के समक्ष अपना पक्ष रख सकता है इस अपील के माध्यम से कोई निर्देश की कोई आवश्कता नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलांट द्वारा यह अपील दिनांक 13.06.2018 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेशकर जो तथ्य अंकित किये है, उनका खण्डन रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलांट ने अपने अपील मीमों के अनुतोष में आवंटन आदेश दिनांक 16.10.1980 में अंकित भूमि के अनुरूप आवंटन करने के निर्देश देने का निवेदन किया है जिसे इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 3.11.2016 को अपने निर्णय से निर्णित किया जा चुका है जिसके बाबत पुनः कोई विवेचन/ टिप्पणी इस स्तर पर किया जाता उचित नहीं है । इस निर्णय दिनांक 03.11.16 के तहत अधी.न्यायालय में चाराजोई हेतु अपीलांट स्वतंत्र है व इस सम्बन्ध में अधी.न्यायालय में चाराजोई करनी चाहिए। वर्तमान में इस स्तर पर इस अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 02.11.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैया लाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर